**Amount Released to voluntary Organisation by 'Capart' in Rajkot**

478. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of RURAL AREAS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) what amount has so far been released by the CAPART for advancement of technology to the Voluntary Institutions working in Rajkot district of Gujarat;

(b) what are the Institution-wise and Year-wise details of the amount released to them;

(c) what are the names of those Institutions against which complaints of misuse of funds have been received; and

(d) the action taken by Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) and (b) For advancement of rural technology, only one project, namely, "Design and Manufacture of Tiny Oil Mill for rural women for self employment" has been sanctioned by CAPART to Tiny Plan Private Limited in District Rajkot of Gujarat. An amount of Rs. 1,32,800/- (76,400 on 17.3.1986 and 56,400 on 12.7.1989) has been released by CAPART for this project to the voluntary organisation.

(c) No complaint of misuse of funds has been received by CAPART against any voluntary organisation assisted by it in Rajkot District of Gujarat.

(d) Does not arise.

**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के प्रवेश संबंधी मानदंड**

479. **श्री अजीत जोगी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के प्रवेश संबंधी मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है; और

(ख) उपर्युक्त संस्थान में विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारी/डाक्टर कार्यरत हैं और इन दोनों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों/कर्मचारियों डाक्टरों का प्रतिशत क्या है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों, डाक्टरों और कर्मचारियों का क्रमशः प्रवेश तथा भर्ती निर्धारित मानदंडों के अनुसार कब तक कर दिए जाने की संभावना है।

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा):** (क) जी, हां।

(ख)

| क्रम सं० | पदों की श्रेणी | कुल संख्या | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | छात्र | 273 | 44 (16.1 प्रति०) | 29 (10.6 प्रति०) |
| 2 | डाक्टर | 534 | 50 (9.4 प्रति०) | 08 (1.5 प्रति०) |
| 3 | कर्मचारी | 5138 | 1492 (29 प्रति०) | 176 (3.4 प्रति०) |

*विषय पर अनुदेशों के अनुसार प्रवेश तथा प्रतिनियुक्तियां की जाती हैं।
संकाय की नियुक्तियों में आरक्षण का मामला न्यायाधीन है।